दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 9 दिसम्बर, 2013
निर्णीत तिथि : 16 जनवरी, 2014

<u>आप.अ. 397/2003</u>

गुलशन शर्मा एवं अन्य। .... अपीलार्थीगण
के द्वारा: श्री आर.के.ठाकुर, अधिवक्ता के साथ श्री बी. मिश्रा, अधिवक्ता।

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य .....प्रत्यर्थी
के द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अति.लो.अभि

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री. एस.पी.गर्ग

<u>न्या. एस.पी.गर्ग,.</u>

1. गुलशन शर्मा (अ-1), हरीश शर्मा (अ -2) और कामनी शर्मा (अ-3) ने प्राथमिकी सं. 543/00 पुलिस थाना राजौरी गार्डन से उत्पन्न सत्र मामला संख्या 41/00 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांक 03.03.2003 के निर्णय की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें भा.दं.सं की धारा 307/34 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। दिनांक

05-03-2003 के दण्ड के आदेश द्वारा उन्हें पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा अधिनिर्णित की गई थी और प्रत्येक पर 5,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था। आरोप पत्र में पेश अभियोजन का मामला इस प्रकार है:

2. दिनांक 01.06.2000 को, राजीव तनेजा भुगतान की मांग करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति के निवास पते पर गए थे, जो अ -1 समिति का सदस्य होने के नाते भुगतान करने में विफल रहा था। घर में केवल अ-3 मौजूद थी। अभि.सा. 11 (राजीव तनेजा) ने उसके पास संदेश छोड़ दिया और वापस आ गया। अ -1 और अ -2 उनकी अनुपस्थिति में राजीव तनेजा के उनके घर आने से क्रोधित थे और लगभग 06.00 बजे, वे उनके घर गए और उनकी मां को धमकी दी। लगभग 09.00 बजे जब अभि.सा.-11 (राजीव तनेजा) और उसकी मां अभि.सा.-2 (सुषमा तनेजा) दोनों अभियुक्त व्यक्ति के घर के सामने से गुजर रहे थे, तभी अ -1 से अ-3 ने राजीव तनेजा को पकड़ लिया और उसे पीट दिया। अ-3 के उकसाने पर अ -1 ने चाकू निकाला और उससे (राजीव तनेजा) को घायल कर दिया। उनके शोर मचाने पर विनोद कुमार तनेजा, उनके भाई घटनास्थल पर पहुंचे। अभियुक्त मौके से फरार हो गए। चाकू वेधन की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तंत्र सक्रिय हो गया, जब दैनिक डायरी (डीडी) संख्या 27 (प्र.अभि.सा.-1/अ) को रात 09.35 बजे दर्ज किया गया। जांच का जिम्मा उप.नि. विनय मलिक को न्यस्त किया गया, जो कॉन्स्टेंट सुरिंदर के साथ मौके पर गए। विनोद अपने घायल भाई को डीडीयू अस्पताल ले गया और उसे भर्ती कराया। अस्पताल में

उनके भर्ती होने के बारे में दैनिक डायरी (डीडी) संख्या 28 (प्र. अभि.सा.-1/ख) दर्ज की गई थी। जांच अधिकारी ने सुषमा तनेजा का बयान (प्र. अभि.सा.-2/अ) दर्ज करने के बाद प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की। जांच के दौरान, अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और अपराधिक हथियार यानी चाकू बरामद किया गया। तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच पूरी होने के बाद, उनके खिलाफ भा.दं.सं की धारा 307/201/34 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों पर विधिवत आरोप लगाए गए और उन पर विचारण के लिए लाया गया। अभियोजन पक्ष ने अपना अपराध साबित करने के लिए अठारह गवाहों से पूछताछ की। 313 बयानों में, अभियुक्त व्यक्ति ने झूठे आरोप लगाए और अपराध में अपनी सह-अपराधिता से इनकार किया। सबूतों की सराहना करने और पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा, उन सभी को पहले उल्लिखित अपराधों के लिए दोषी ठहराया। व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने अपील किया हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त व्यक्ति को भा.दं.सं की धारा 201 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था और राज्य ने उक्त को दोषमुक्त होने को चुनौती देने वाली किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी थी।

3. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का परीक्षण किया है। अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने अपने सही और उचित परिप्रेक्ष्य में सबूतों की सराहना नहीं की और

स्वतंत्र संपुष्टि के बिना इच्छुक गवाहों की गवाही पर भरोसा करने में गंभीर गलती की है । अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विसंगतियों और सुधारों को वैध कारणों के बिना नजरअंदाज कर दिया गया। भा.दं.सं. की धारा 307 की सामग्री आकर्षित और सिद्ध नहीं होती है। अभियोजन पक्ष उस डॉक्टर की जांच करने में असमर्थ था जिसने चोटों की प्रकृति को 'खतरनाक' माना था। एमएलसी (प्र. अभि.सा.-7/अ) चोटों की प्रकृति को अभिलेखित नहीं करता है। अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने उनकी अपील खारिज होने की स्थिति में उन्हें इस मामले में हिरासत में बिताई गई अवधि के लिए रिहा करने के लिए एक वैकल्पिक तर्क अपनाया। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय का निर्णय साक्ष्य के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. यह घटना करीब 09.00 बजे हुई और दैनिक डायरी (डीडी) सं. 27 (प्र. अभि.सा.-1/अ) को बी-196, रघुबीर नगर में चाकूबाजी की सूचना मिलने पर रात 09.35 बजे पुलिस चौकी रघुबीर नगर में अभिलेखित किया गया था। विनोद कुमार तनेजा घटना के तुरंत बाद घायल राजीव तनेजा को डीडीयू अस्पताल ले गए। रात 09.50 बजे ड्यूटी कांस्टेबल कंवर सिंह द्वारा सूचना दिए जाने पर दैनिक डायरी (डीडी) सं.28 (प्र. अभि.सा.-1/ख) दर्ज की गई। जांच अधिकारी ने पीड़िता की मां का बयान दर्ज करने के बाद रात 11.45 बजे रुक्का (प्र. अभि. सा. -18/अ) को प्रथम इत्तला रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए भेजा। जाहिर है, पुलिस के

पास रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई थी। अपने बयान (प्र. अभि.सा.-2/ अ) में, सुषमा तनेजा ने पहले उपलब्ध अवसर पर आरोपी व्यक्ति को अपने बेटे राजीव तनेजा को लगी चोटों के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने घटना का स्पष्ट विवरण दिया और चोटों के कारण के लिए प्रत्येक आरोपी को विशिष्ट भूमिका बताई और इसके लिए मकसद भी बताया। चूंकि प्राथमिकी बिना किसी देरी के दर्ज की गई थी, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा थोड़े अंतराल में झूठी कहानी गढ़ने की संभावना कम थी। अभि.सा. -2 के रूप में पेश होने के दौरान, उसने पहली बार में पुलिस को दिए गए बयान को बिना किसी बदलाव के साबित किया और विशेष रूप से गवाही दी कि लगभग रात 09.00 बजे जब वह और उसका बेटा एबी-ब्लॉक बाजार से लौट रहे थे और आरोपी व्यक्ति के घर के सामने से सड़क पार कर रहे थे, तो वे (आरोपी व्यक्ति) बाहर आए और राजीव तनेजा को पकड़ लिया और उसे मुट्ठी और पैरों से वार करके पीटना शुरू कर दिया। अ -3 ने अपने बाल खींचे और अ-1 को बदला लेने के लिए उकसाया क्योंकि उसने उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश की थी। तत्पश्चात , अ -1 ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसके बेटे के पीछे कंधे और जांघ पर वेधन किया। प्रति-परीक्षा में उसने दोहराया कि अ-1 ने पैंट के पीछे से चाकू निकाला। घटना के समय मौके पर कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति मौजूद नहीं था। उसने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि अभियुक्त व्यक्तियों के प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी। शिकायतकर्ता द्वारा साबित किए गए महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रति-परीक्षा में चुनौती नहीं दी गई। अभियुक्त

व्यक्ति उस पर अविश्वास करने के लिए उसके संस्करण में कोई भौतिक विसंगति या असंगति निकालने में असमर्थ थे। प्रति-परीक्षा में मौके पर उसकी मौजूदगी को चुनौती नहीं दी गई। आरोपियों ने मौके पर अपनी मौजूदगी से इनकार नहीं किया। उनको दी गई भूमिका पर भी सवाल नहीं उठाया गया था । शिकायतकर्ता का बयान की अभि.सा. -11 (राजीव तनेजा) द्वारा बिना किसी बदलाव के पूरी तरह से संपुष्टि की गई है, जिन्होंने गवाही दी कि जब वे घर के सामने से गुजर रहे थे, तो उनके घर के बाहर खड़े आरोपियों ने उन्हें मुक्के और घूंसे से पीटा और गाली देना शुरू कर दिया। अ -2 और अ-3 ने उसे निचे धक्का दिया और अ -1 ने चाकू निकालकर उसके बाएं पैर और छाती पर वेधन किया। प्रति-परीक्षा में उनकी गवाही को चुनौती देने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं रखे गए थे ।

5. अभि.सा.-2 (सुषमा तनेजा) और अभि.सा.-11 (राजीव तनेजा) दोनों की अभियुक्त व्यक्ति के साथ कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें घटना में झूठा फंसाया जा सके। वे पड़ोसियों के समान आस-पास ही रहते थे। अ -1 और अ -2 अभि.सा.-2 (सुषमा तनेजा) द्वारा चलाई जा रही समिति के सदस्य थे। समस्या तब उत्पन्न हुई जब अभि.सा. -11 (राजीव तनेजा) अपनी अनुपस्थिति में बकाया राशि की मांग करने के लिए अ -1 के घर गया और उसकी पत्नी (अ 3) के पास संदेश छोड़ दिया, जिससे आरोपी व्यक्ति नाराज हो गए। पूर्व शत्रुता या दुश्मनी के अभाव में, घायल गवाह से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह असली अपराधी को खुला छोड़ दे और एक निर्दोष को झूठा फंसा

दे। उनकी चश्मदीद गवाही पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं है जो चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप है। एमएलसी (प्र. अभि.सा.-7/अ) तब तैयार किया गया था जब राजीव तनेजा को उनके भाई विनोद कुमार तनेजा द्वारा 01.06.2000 को रात 09.55 बजे डीडीयू अस्पताल ले जाया गया था। अभि.सा. -7 (डॉ.के.के.कुमरा), सीएमओ, डीडीयू अस्पताल ने एमएलसी (प्र .अभि.सा 7/अ) पर डॉ. अमर कुमार की लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान की। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि पीड़िता को लगी चोटें धारदार हथियार से लगी थीं और वे 'खतरनाक' प्रकृति की थीं। प्रति-परीक्षा में उनके गवाही को चुनौती नहीं दी गई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार यानी चाकू (प्र. 1) को बरामद कर लिया था । फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, उसमें मानव रक्त समूह ए बी पाया गया जो कि पीड़िता का था। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम था कि अभियुक्त व्यक्ति ने राजीव तनेजा को चोटें पहुंचाई थी।

6. अ-1 वास्तविक हमलावर है जिसने पीड़ित राजीव तनेजा के शरीर पर तेज धार वाले हथियार से बार-बार चोट पहुंचाई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि अ -2 और ए-3 ने राजीव तनेजा की हत्या के इरादे से उन्हें चोट पहुंचाने का साझा इरादा साझा किया था। रात 09.00 बजे अपनी मां के साथ पीड़ित की उपस्थिति उनके घर के सामने अचानक और बिना किसी प्रत्याशा के थी। अ -2 और ए-3 किसी भी हथियार से लैस नहीं थे। उन्होंने राजीव तनेजा को पहली बार पीटा था और किसी भी हथियार से कोई चोट नहीं

पहुंचाई थी। तत्पश्चात, यह अ-1 था जिसने चाकू निकाला और पीड़ित को कई चोटें **पहुंचायी** । अ -1 द्वारा चोटों के कारण अ -2 को किसी भी भूमिका के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि ए-3 के उकसाने पर, अ -1 ने पीड़ित को चोट पहुंचाने के लिए चाकू निकाला। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि अ -2 और ए-3 को घटना से पहले अ -1 के पास चाकू रखने के बारे में पता था। अ -2 और ए-3 ने चाकू से चोट पहुंचाने में अ -1 की सहायता नहीं की। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अ -2 और अ-3 ने अ -1 के साथ इरादा साझा किया था जब उसने पीड़ित को चाकू से चोट पहुंचाई थी। तीनों के बीच पूर्व-निर्धारित योजना या पूर्व सहमति के सबूत के अभाव में, केवल यह तथ्य कि वे सभी एक साथ थे, अ -2 और अ-3 को अ-1 के कृत्यों के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सामान्य इरादा अपराध का गठन करने से पूर्व होना चाहिए। बेशक, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने पहली बार में राजीव तनेजा को पीटने का इरादा किया था क्योंकि वे पैसे मांगने के लिए पुरुष सदस्यों की अनुपस्थिति में उनके घर आने से नाराज थे और इसके लिए राजीव तनेजा को सभी अभियुक्तों द्वारा शुरुआती टकराव के समय मुक्कों और घूसों से पीटा गया था। अ-2 और अ-3 को पीड़ित को अ-1 द्वारा चाकू से लगी चोटों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। वे केवल पहली बार में पीड़ित को मुक्कों और घूसों से पीटने में उनके द्वारा निभाई गई व्यक्तिगत भूमिका के लिए

उत्तरदायी हैं। चूंकि वे लंबे समय से हिरासत में हैं, इसलिए पीड़ित कि की गई पिटाई के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

7. अ-1 ने एक धारदार हथियार से पीड़ित के महत्वपूर्ण अंगों पर बार-बार कई वार किए। चोटों को प्रकृति में 'खतरनाक' माना गया था। एमएलसी (प्र. अभि.सा.-7/अ) के अनुसार, उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

1. *सीएलडब्ल्यू 3 x 5 सेमी छाती के बाईं ओर। 4 सेमी पार्श्व से बाएं निप्पल तक।*
2. *सीएलडब्ल्यू 3 x 3 सेमी बाईं जांघ के पार्श्व पहलू से मध्य जांघ के स्तर तक।*
3. *बायीं जांघ के अंदरूनी हिस्से पर जांघ के ऊपरी 1/3 भाग पर सीएलडब्ल्यू 2 x 1 सेमी। ।*
4. *बाएं कंधे के जोड़ के पीछे वाले हिस्से पर सीएलडब्ल्यू 2 x 1 सेमी।*

पीड़ित काफी लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहा। परिणाम प्राप्त करने के लिए जांच अधिकारी द्वारा 14.08.2000 को आवेदन (प्र. अभि.सा.-13/अ) प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर ने आवेदन प्र. अभि.सा.-13/अ पर पृष्ठांकन द्वारा सूचित किया कि रोगी अभी भी अस्पताल में भर्ती था और चोट का प्रकार के विषय में छुट्टी के समय दिया बताया जाएगा । जाहिर है, पीड़ित दो महीने से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहा। जिस समय उसे अस्पताल ले जाया गया, वह अचेत था। घटना के समय पीड़ित निहत्था था और अ -1 ने बिना किसी

उकसावे के महत्वपूर्ण अंगों पर घातक हथियार से 'खतरनाक' चोटें पहुंचाईं। तथ्यों और परिस्थितियों से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अ-1 ने चोट पहुंचाकर पीड़ित की हत्या करने का प्रयास किया और भा.दं. सं. की धारा 307 के तहत अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी था। इस मामले में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अ-1 को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जिसे अत्यधिक या अनुचित नहीं कहा जा सकता।

8. उपरोक्त विवेचना के आलोक में, अ -1 (गुलशन शर्मा) द्वारा प्रस्तुत अपील अयोग्य होने के कारण खारिज की जाती है। उसकी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी जाती है। अ -1 को सजा की शेष अवधि काटने के लिए 21 जनवरी, 2014 को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। इस मामले में अ -2 (हरीश शर्मा) और ए-3 (कामनी शर्मा) द्वारा पहले ही गुजारी गई अवधि को पीड़ित कि की गई पिटाई के लिए उनकी मूल सजा के रूप में माना जाता है और उन्हें आगे और सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

9. अपील का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

16,जनवरी 2014/*टीआर*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*